

मध्य रेल

सं.सोला/का/समाडी/सफाईवाला

129/2020
C&W

डी.आर.एम. का कार्यालय

कार्मिक शाखा, सोलापुर

दिनांक - 02/03/2020.

कार्यालय आदेश संख्या. 129/2020.

Sub :- Appointment of safaiwala Level – 1, GP 1800/- recruited through RRC / Mumbai (In Group D initial grade) in C&W Department on Solapur Division.

Ref – 1) RRC Lr No P/CR/HQ/RRC/CEN/02/2018/Prov Panel-VII dt 02.01.2020.


2) Centralised Employment Notice No 02/2018 & 3) This office P/Rect Lr.No.dtd 25.02.2020.

In connection with the above Reference Letters the following posting orders are issued with immediate effect. - उनकी नियुक्ति और तैनाती निम्नलिखित शर्तों पर कि जाती है.

- 1) उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन .
- 2) उनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर होगी और कोई भी कारण बताएं बिना उनकी 14 दिन की नोटिस देकर उनकी सेवासमाप्त कि जा सकती है.
- 3) वे भारत सरकार और मध्य रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों तथा अस्थाई कर्मचारियों को लागू होनेवाले नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे.
- 4) उन्हें आवश्यकतानुसार सोलापुर मंडल के किसी भी स्टेशन पर तेनात और स्थानांतरण किया जाएगा.
- 5) वह उम्मीदवार दिनांक 01/04/2004 से लागू नये पेंशन नियमों से शासित होंगे. तथा उपरोक्त को तैनात होने पर प्राण फार्म भरकर लेना अनिवार्य है. PAN CARD बैंक खाता और पत्ता देना है.
- 6) उन्होंने भारतीय संविधान की निष्ठा की प्राथमिक शपथ लेने के पश्चात तथा नियुक्ति के लिए उन्हें डिपो में रिपोर्ट करने के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी वाहकपत्र दिया जाएगा और वाहकपत्र पर कर्मचारी का सत्यापित फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर होगा. डिपो प्रभारी उनके रिपोर्ट करने पर उनकी वास्तविकता/जेनियननेस/ की पुष्टि मंडल रेल प्रबंधक, कार्मिक विभाग भर्ती कार्यालय, सोलापुर को सूचित करेंगे.
- 7) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी उम्मीदवार को उनके कागजातों को सत्यापित करने के पश्चात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी कोटे पर नियुक्ति दी जाती है. उनकी नियुक्ति अनंतिम है और बशर्ते उनके जाति/जनजाती/ओबीसी के प्रमाणपत्र के उचित माध्यमों द्वारा सत्यापन किये जाने पर है, यदि सत्यापन के समय यह प्रकट हुआ कि जैसा भी मामला हो अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी के होने का दावा गलत है तो कोई कारण दिए बिना तुरंत सेवा समाप्त की जाएगी और पूर्वधारणा बिना गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिए भारतीय पिनल कोड के प्रावधानों के अधीन आगे की कार्यवाही की जाएगी.

क्रं	HQ's Lr Sr.No.	नाम/ सर्व श्री.	जन्मतिथी, जाति	चिकित्सा का विवरण	नियुक्ति पदनाम, स्टेशन विभाग लेव्हल-1
1	1/HH/HH (HH)	ROUT AKASH SHIVAJI	28.10.1997.,OBC (Alloted Category-OBC)	PWBD-HH-H1 (HHI) as Hearing Handicapped, Cer.No.444420 dtd 26.08.2019.,BY	C&W-Safaiwala, (Initial Gr) under SSE/C&W/SUR (Level - I)18000/- GP1800/-

The date of reporting of the above named candidate should be advised to all concerned without fail. This has the approval of Competent Authority.


(श. म. स. खान)

सहायक कार्मिक अधिकारी..

सोलापुर

C/- Sr. DME, Sr.DFM, SUR, ADME/ SUR, DD - for information please

C/- SSE/C&W/ SUR- O O, Cadre, and P/File -for information & necessary action for join